राजस्थान सरकार

कौशल, नियोजन एवं उद्यमिता विभाग

प्राविधिक शिक्षा निदेशालय राजस्थान, जोधपुर

क्रमांकः प.स.7(11)/प्र–1/सत्रीयअंक/2018/12259 दिनांकः 01-8-2018

आचार्य/अधीक्षक,

राजकीय/प्राईवेट औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान,

समस्त।

विषयः औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षणरत प्रशिक्षणार्थीयों को सत्रीय अंक आवंटन के संबंध में।

संदर्भः निदेशालय का पूर्व परिपत्र क्रमांक 58554–620 दिनांक 13.05.1999

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षणरत प्रशिक्षणार्थीयों को सत्रीय अंक आवंटन के संबंध मे निदेशालय के संदर्भित पत्र द्वारा दिशा–निर्देश जारी किये गये थे। पूर्व में जारी दिशा–निर्देशों में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है–

प्रायोगिक/इंजीनियरिंग ड्राईंग के सत्रीय अंक

1	नियमित प्रायोगिक कार्य	50 प्रतिशत
2	मासिक/एचिवमेन्ट टेस्ट	30 प्रतिशत
3	उपस्थिति	10 प्रतिशत
4	सह–पाठ्यक्रम गतिविधियां **(वृक्षारोपण इत्यादि)**	10 प्रतिशत

सैद्धांतिक/कार्यशाला गणना एवं विज्ञान के सत्रीय अंक

1	नोट्स एवं अभ्यास पुस्तिका	30 प्रतिशत
2	मासिक/एचिवमेन्ट टेस्ट	50 प्रतिशत
3	उपस्थिति	10 प्रतिशत
4	सह–पाठ्यक्रम गतिविधियां **(वृक्षारोपण इत्यादि)**	10 प्रतिशत

प्रत्येक त्रैमासिक टेस्ट को एचिवमेन्ट टेस्ट के रूप में लिया जावे। संस्थानों में वृक्षारोपण कार्य को आवश्यक रूप से सम्मिलित करें।

सत्रीय अंक आवंटन के समय इनकी पूर्ण पालना की जावें। पूर्व की भांति अंको का आंकलन संबंधीत अनुदेशक तथा समूह अनुदेशक मिलकर करेगें एवं संस्थान प्रधान द्वारा इसका अनुमोदन किया जाएगा।

भवदीय,

निदेशक प्रशिक्षण

क्रमांकः प.स.7(11)/प्र–1/सत्रीयअंक/2018/स्तम दिनांकः 01-8-2018

प्रतिलिपिः उपनिदेशक, प्रशिक्षण, क्षेत्रीय कार्यालय, प्राविधिक शिक्षा, अजमेर/बीकानेर/भरतपुर/कोटा/जयपुर/जोधपुर/उदयपुर को प्रेषित कर लेख है कि संस्थानों द्वारा इसकी पालना सुनिश्चित करने हेतु आपके स्तर पर मॉनिटरिंग की जावें। संस्थानों में वृक्षारोपण कार्य को आवश्यक रूप से सम्मिलित कराने के निर्देश आपके स्तर से भी जारी करें।

उपनिदेशक प्रशिक्षण